

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 24.07.2025

गैंग बनाकर कूटरचित अवैध दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी करके पैसा हड़पने वाले गिरोह के 02 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर द्वारा **गैंग लीडर 1. हिस्ट्रीशीटर विनोद माली उर्फ विजयशंकर माली व गैंग की सदस्य 2. अनुसुइया देवी के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी ।** उक्त गैंग का लीडर विनोद माली उपरोक्त स्वयं व अपने गिरोह के सदस्य के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखा धड़ी करके पैसा हड़पना मांगने पर मार-पीट व गाली-गुफ्ता देते हुए धमकी देने जैसे गम्भीर अपराध कारित करते रहते हैं । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः आमजन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं धोखाधड़ी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर 1. विनोद माली उर्फ विजयशंकर माली व गिरोह के सदस्य 2. अनुसुइया देवी उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 357/2025 धारा 2 (ख)(I)(VIII) (XI) / 3(1) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर वादी मुकदमा को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मानबेला में बने फ्लैट के आवंटन के नाम पर अपने आप को जीडीए का अधिकारी बताते हुए उनसे पैसा लिया गया तथा फ्लैट का अवैध कूटरचित एलॉटमेंट पेपर दिया गया । जब वादी मुकदमा को फ्लैट नहीं मिला तो उनके द्वारा अपना पैसा वापस मांगा गया जिसपर अभियुक्तों द्वारा गाली-गुफ्ता देते हुये मारा-पीटा गया तथा जान-माल व फर्जी मुकदमे मे फंसाने की धमकी दिया गया । जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 649/2024 धारा 419,420,467,468,471,323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 357 /2025 धारा 2 (ख) (I) (IV) (VIII) (XI)/3(1) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

अपराधियों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. हिस्ट्रीशीटर विनोद माली उर्फ विजयशंकर माली पुत्र फूलदेव माली उर्फ रामदेव माली निवासी मूल पता पंडितपुरवा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ व ग्राम छताई थाना खजनी जनपद गोरखपुर व हाल मुकाम रामजानकी नगर गंगा टोला बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0- 132/1996 धारा 171,392,411 भादवि थाना जी0आर0पी0 भटनी देवरिया
2. मु0अ0सं0- 203/1998 धारा 8/20 NDPS Act थाना जी0आर0पी0 भटनी देवरिया
3. मु0अ0सं0- 204/1998 धारा 171 भादवि थाना जी0आर0पी0 भटनी देवरिया
4. मु0अ0सं0- 09/2004 धारा 394,411,419,420,171 भादवि थाना जी0आर0पी0 गोण्डा
5. मु0अ0सं0- 28/2004 धारा 223,2234 भादवि थाना जी0आर0पी0 गोण्डा
6. मु0अ0सं0- 1038/2004 धारा 379,411 भादवि थाना चारबांग लखनऊ
7. मु0अ0सं0- 132/2016 धारा 8/21/22 NDPS Act थाना जी0आर0पी0 गोरखपुर

8. मु0अ0सं0- 137/2016 धारा 41,171,411,413,414,417,419 भादवि थाना जी0आर0पी0 गोरखपुर
9. मु0अ0सं0- 1041/15 धारा 177,380,411,413,414,417,419 भादवि थाना जी0आर0पी0 गोरखपुर
10. मु0अ0सं0- 1142/2016 धारा 2बी(1),3 उ0प्र0 गैगैस्टर एक्ट थाना जी0आर0पी0 गोरखपुर
11. मु0अ0सं0- 260/2024 धारा 205,317(2),317(5),319(2) BNSS थाना जी0आर0पी0 गोरखपुर
12. मु0अ0सं0- 649/2024 धारा 419,420,467,468, 471, 323,504,506,120बी भादवि0 थाना शाहपुर गोरखपुर
13. मु0अ0सं0- 480/2024 धारा 406,420,323,504,506 भादवि0 थाना सहजनवाँ गोरखपुर
14. मु0अ0सं0- 418/2002 धारा 356,379 भ0द0वि0 थाना चारबाग लखनऊ
15. मु0अ0सं0- 609/2002 धारा 171 भा0द0वि0 थाना चारबाग लखनऊ
16. मु0अ0सं0- 610/2002 धारा 41/411 भा0द0वि0 थाना चारबाग लखनऊ

2. अनुसुइया देवी पत्नी विनोद माली उर्फ विजयशंकर माली निवासी मूल पता पंडितपुरवा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ व ग्राम छताई थाना खजनी जनपद गोरखपुर व हाल मुकाम रामजानकी नगर गंगा टोला बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0- 649/2024 धारा 419,420,467,468, 471, 323,504,506,120बी भादवि0 थाना शाहपुर गोरखपुर
2. मु0अ0सं0- 480/2024 धारा 406,420,323,504,506 भादवि0 थाना सहजनवाँ गोरखपुर